



आई0जी0आर0एस0 निस्तारण में बस्ती परिक्षेत्र को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान ।

परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के आई.जी.आर.एस. शाखा को पोर्टल पर माह मार्च 2025 की मासिक रैंकिंग में जनशिकायतो के निस्तारण मे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माह मार्च 2025 में प्रार्थना पत्रों/फीडबैक का गुणवत्तापूर्ण शत-प्रतिशत निस्तारण कराकर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा आई0जी0आर0एस0 शाखा में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण का उत्साहवर्धन किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
रेंज कार्यालय, बस्ती



आगामी त्योहारो को लेकर DIG बस्ती द्वारा गूगल मीट के माध्यम से रेंज के तीनों जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ की गयी गोष्ठी ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा दिनांक 04-04-2025 की रात्रि में गूगल मीट के माध्यम से रेंज के तीनों जनपदों के पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी, बीट पुलिस अधिकारीगण के साथ आगामी त्यौहारों राम नवमी, डॉ0भीमराव अंबेडकर जयंती तथा अपराधो के रोकथाम व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत गोष्ठी की गयी। डी0आई0जी0 बस्ती द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- 1 आगामी त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूसों की अलग से सूची तैयार कर ली जाये तथा अधिकतम पुलिस बल की ड्यूटी त्यौहारों व जुलूस मे दंगा निरोधक उपकरणों के साथ ब्रीफ कर लगायी जाये।
- 2 अतिसंवेदनशील जुलूसो/ स्थलों का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, संवेदनशील जुलूसो/स्थलो का अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक, अन्य स्थलों का उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारीगण द्वारा सभी स्थलों का भ्रमण कर सभी प्रशासनिक तैयारी व कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।
- 3 भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- 4 मिश्रित आबादी एवं दूसरे संप्रदाय के पूजा स्थलों पर समुचित पुलिस प्रबंध किया जाये जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास न किया जा सके तथा मिश्रित आबादी मे ड्रोन से निगरानी करायी जाये।
- 5 विगत 10 वर्ष के त्यौहार रजिस्टर व ग्राम अपराध पुस्तिका का गहन अध्ययन कर लें तथा सांप्रदायिक तनाव वाले स्थान/ विवादित स्थलों का निरीक्षण कर विवादों का समाधान कर लिया जाये।
- 6 पुलिस लाइन के विभिन्न मदो, गार्दो, पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओ, पेशी, न्यायालय सुरक्षा, व SPO कार्यालय आदि में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों की QRT टीम बनाकर वायरलेस हैंडहेल्ड सेट व दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ संवेदनशील स्थानो पर ड्यूटी लगायी जाये।
- 7 थाना/सर्किल/ मुख्यालय स्तर पर होली त्यौहार के तरह QRT टीम बनाकर निगरानी करायी जाये। पर्याप्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन कराया जाये।
- 8 लगने वाले मेलों के संबंध में आयोजक से बिजली, पीडब्ल्यूडी व अन्य संबंधित विभागों से एनओसी प्राप्त कर लिया जाये तथा पर्याप्त संख्या में पुरुष व महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये।
- 9 जुलूस के आगे- पीछे, दाये- बाये बॉक्स इंफॉर्मेशन में तथा छतो पर रूफ-टाप ड्यूटी लगायी जाये।
- 10 डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी कर एडवायजरी/ नोटिस जारी किया जाये तथा उसका संपूर्ण विवरण रखा जाये। जिन्हे निर्धारित ध्वनि डेसीबल तक डीजे बजाने व आपत्तिजनक गाने न बजाने हेतु निर्देशित किया जाये।



- 11 प्रत्येक जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाए तथा आवश्यकतानुसार ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया जाये।
- 12 डॉ० भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर जहां कहीं भी पूर्व में विवाद रहा हो अथवा विवाद हो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवा कर निगरानी करायी जाये।
- 13 अंबेडकर जयंती के 2 दिन पूर्व से ही अंबेडकर जी की प्रतिमा की सुरक्षा हेतु ड्यूटी लगा दी जाये व आसपास के लोगों की कमेटी बनाकर उनसे भी प्रतिमा की सुरक्षा करायी जाये।
- 14 फूट पेट्रोलिंग बढ़ायी जाये तथा PRV 112 एक्टिव रहे।
- 15 त्योहारों के दौरान कोई भी गैर परंपरागत कार्य, जुलूस, शोभायात्रा ना हो।
- 16 जनपद स्तर व थाना स्तर पर पर्याप्त मात्रा में रिजर्व फोर्स रखा जाये तथा कंट्रोल रूम को सतर्क कर शिफ्टवार ड्यूटी लगायी जाये।
- 17 सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा अफवाहों का खंडन किया जाये।

सोशल मीडिया सेल
रेंज कार्यालय, बस्ती



डी0आई0जी0बस्ती द्वारा रेंज के जनपदों में प्रचलित बृहद निर्माण कार्यों के संबंध में की गयी समीक्षा गोष्ठी। संबंधित को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 07.04.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में परिक्षेत्र के जनपदों में प्रचलित बृहद निर्माण कार्यों की समीक्षा गोष्ठी की गयी। डी0आई0जी0 बस्ती द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- 1 पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि रेंज में प्रचलित कुल 36 बृहद निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये।
- 2 आगामी आरक्षीगण के प्रस्तावित प्रशिक्षण के दृष्टिगत निर्माणाधीन भवनों को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाये ताकि प्रशिक्षण को सकुशल संपन्न कराया जा सके।
- 3 जिन भवनों का निर्माण कार्य विगत काफी वर्षों से किसी कारणवश रुका हुआ है उन भवनों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराने के बाद ही निर्माण काम शुरू कराया जाये।
- 4 पुनरीक्षित आगणन के कारण रुके हुए निर्माण कार्यों के संबंध में मुख्यालय स्तर पर प्रभावी पैरवी कर पुनरीक्षित धनराशि स्वीकृत कराकर यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाये।
- 5 प्रतिसार निरीक्षक गण को निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन भवनों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करते रहे जिससे उनकी गुणवत्ता बनी रहे।
- 6 निर्माणाधीन भवनों का समय-समय पर निरीक्षण करते रहे एवं फोटो और वीडियो तैयार करके आगामी मीटिंग में लेकर आये जिससे पता चले कि कार्य की क्या प्रगति है।

उक्त गोष्ठी में रेंज के तीनों जनपदों के प्रतिसार निरीक्षक, प्रधान लिपिक तथा संबंधित निर्माण इकाई के सहायक/जूनियर इंजीनियर व परिक्षेत्रीय कार्यालय के प्रधान लिपिक उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया सेल
रेंज कार्यालय, बस्ती



**डीआईजी बस्ती द्वारा रेंज के जनपदों के एसपी के साथ की गयी मासिक समीक्षा
गोष्ठी, संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश ।**

आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में परिक्षेत्र के जनपदों के एसपी के साथ मासिक समीक्षा गोष्ठी की गयी । डीआईजी0 बस्ती द्वारा गोष्ठी में निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये :

- (1) हत्या, दहेज हत्या, फिरोती हेतु अपहरण एवं गम्भीर चोट के अपराधों की समीक्षा करते हुए अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना का निस्तारण एवं नियमानुसार संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुये वैधानिक कार्यवाही करायी जाये एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए सजा करायी जाये ।
- (2) लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कराकर अभियोग पंजीकरण कराते हुए इनसे संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/सम्पत्ति की बरामदगी की जाये एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये जिससे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लग सके ।
- (3) महिला संबंधी अपराध बलात्कार, शीलभंग, अपहरण, पॉक्सो से सम्बन्धित प्रकरणों में तत्काल अभियोग पंजीकरण कराते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये ।
- (4) पेंडिंग विवेचनाओं के निस्तारण /वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।
- (5) SC/ST अधिनियम के प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत करते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर कराते हुए विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये ।
- (6) जघन्य अपराधों में रासुका के तहत कार्यवाही करायी जाये तथा प्रभावी पैरवी कराकर गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही करायी जाये।
- (7) जनपद स्तर पर टीम गठित कर शेष पुरस्कार घोषित अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करायी जाये ।
- (8) गिरोहबंद अधिनियम के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराते हुए अपराध से सम्बन्धित अर्जित सम्पत्ति का चिन्हांकन कराकर नियमानुसार सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये



- (09) गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जाये ताकि अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लग सके।
- (10) NDPS एक्ट से संबंधित अपराध की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए एवं अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया जाए ताकि सिंडिकेट पर अंकुश लगाया जा सके।
- (11) अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व विक्री की रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- (12) आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के अन्तर्गत लगाये जाने वाले कैमरों के लाभ के बारे में जनता में प्रचार कर अधिक से अधिक कैमरे स्थापित कराये जाये एवं डाटा पोर्टल पर अपलोड कराये जाये।
- (13) आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अधिक से अधिक सजा करायी जाये।
- (14) ITSSO पोर्टल पर प्रदर्शित अभियोगों में समय से विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कराकर निस्तारण कराये।
- (15) जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक डिजिटल वारियर्स बनाया जाये।
- (16) सभी मुकदमों में विवेचकगण से ई साक्ष्य एप पर साक्ष्य (फोटो/वीडियो आदि) अपलोड कराया जाये।
- (17) NCCRP, IGRS, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराया जाये।
- (18) मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित प्रकरणों में शतप्रतिशत फीडिंग करायी जाये।
- (19) एसओजी व सर्विलांस सेल की मदद से अभियोगों का अनावरण, अपहृताओं की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायी जाये।
- (20) जघन्य अपराधों तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाये।
- (21) थानों पर खड़े वाहनों का निस्तारण ऑपरेशन क्लीन के तहत यथाशीघ्र कराया जाये।
- (22) सर्किल स्तर पर स्थापित होने वाले पिंग बूथ/ परिवार परामर्श केंद्र के लिए सभी आवश्यक संसाधनों तथा सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाये। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

उक्त गोष्ठी में एसपी संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता, एसपी सिद्धार्थनगर श्री अभिषेक महाजन एसपी बस्ती श्री अभिनन्दन, व तीनों जनपद के रीडर, परिक्षेत्रीय कार्यालय के समस्त शाखाओं के शाखा प्रभारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया सेल
रेंज कार्यालय, बस्ती



डीआईजी0 बस्ती द्वारा पुलिस लाइन संतकबीरनगर के प्रशासनिक भवन में सभागार कक्ष व पुलिस मेस के जीर्णोद्धार का फीता काटकर किया गया लोकार्पण भव्यता/कार्यों को देखकर पुलिस अधीक्षक को दी शाबाशी ।

आज दिनांक 15.04.2025 को पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन्स के प्रशासनिक भवन में भव्य व मॉडर्न सभागार कक्ष व मेस के जीर्णोद्धार का फीता काटकर लोकार्पण किया गया । इस अवसर पर किए गए सर्वोत्तम आधुनिक सुविधाओं से युक्त सभागार कक्ष व पुलिसकर्मियों की सुविधा व सेहत को उत्तम रखने के दृष्टिगत पुलिस मेस के सौंदर्यीकरण व उपलब्ध सेवाओं का विस्तार करते हुए कम समय में आटा गूथने की ऑटोमैटिक मशीन लगाई गई है जिससे पुलिसकर्मियों को समय पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही बैठकर आरामदायक तरीके से भोजन करने हेतु लगाई गयी मेज व कुर्सियों की भव्यता पर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर व उनकी टीम द्वारा किए गए कार्यों पर बधाई देते हुए सराहना की गई । डीआईजी0 बस्ती द्वारा कहा गया कि हम सभी को व्यक्तिगत रूप से अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों का उत्साहपूर्वक निर्वहन करते हुए अपने स्तर से बेहतर करने का प्रयास करना है । उन्होंने इस अवसर पर जनपद में घटित विभिन्न अपराधों के कम समय में सफल अनावरण हेतु संतकबीरनगर पुलिस को बधाई दी गई ।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अजीत चौहान, क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वदवन सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात श्री अजय सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री रजनीकान्त ओझा, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गेश पाण्डेय व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे ।